(287)

मुख्यालय
उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई–115, नेहरू कालोनी, देहरादून

पत्रांक सं0–यूईपीपीसीबी/एच0ओ0/एनओसी–सीएच–15/07/13 दिनांक: 10/4/07

सेवा में,

मै0 टिहरी हाईड्रो कारपोरेशन लि0,
विष्णुगाड पीपलकोटी, जल विद्युत परियोजना
जिला– चमोली
(उत्तरॉचल)

विषयः– पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु (Consent to Establish) Provisional सहमति पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनॉक 09.03.06 का सन्दर्भ लें। आपके आवेदन पत्र पर विचार किया गया है तथा परियोजना को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है:–

(क) स्थलः ग्राम– विष्णुगाड पीपलकोटी,
(ख) उत्पादनः जल विद्युत।
(ग) क्षमताः 444 मेगावाट (111x4)

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

2. जल विद्युत परियोजना में सभी आवश्यक यन्त्र, संयंत्र, वनीकरण, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रण की व्यवस्था की स्थापना में की गई प्रगति आख्या इस कार्यालय को प्रत्येक माह प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. जल विद्युत परियोजना मे तब तक परीक्षण उत्पादन प्रारम्भ नहीं करें जब तक की बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत संचालन हेतु सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम दो माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों में प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य जमा किया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत इकाई के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
4. जल विद्युत परियोजना में परीक्षण उत्पादन से पूर्व बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनिश्चित किया जाये।
5. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिए गये आदेश की प्रति इस कार्यालय में अवश्य प्रस्तुत की जाये।
6. परियोजना के आस–पास के क्षेत्र की भू–गर्भीय संरचना प्रभावित न हों, उक्त हेतु विस्तृत जॉच कर सक्षम विभाग से अनुमति प्राप्त की जाये तथा संस्तुतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
7. अलकनन्दा गंगा नदी मे न्यूनतम जल प्रवाह इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि जलीय जीव जन्तुओं एवं पारिस्थितिकी पर कुप्रभाव न पड़े और नदी की जल गुणवत्ता प्रभावित न हो।
8. परियोजना द्वारा दिनॉक 09.01.07 को सम्पन्न लोक सुनवाई मे लिए गये निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रोविजनल है। उद्योग को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
10. क्षेत्र की वन सम्पदा, जीव जन्तु, पेड़ पौधे व जन जीवन पर परियोजना के क्रियान्वयन से कुप्रभाव न पड़ें। उक्त हेतु वन विभाग, मत्स्य विभाग, कृषि विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों से तीन माह के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जायेगा।
11. परियोजना के निर्माण कार्य से पूर्व Muck disposal का प्रस्ताव दिया जाए एवं दिये गये प्रस्ताव के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ।

12. परियोजना के दौरान जनित घरेलू उत्प्रवाह/अपशिष्ट का निस्तारण करने से पूर्व **Septic Tank/Sock Pit** द्वारा शुद्धीकृत किया जाये ताकि नदी जल प्रदूषित न होने पायें।
13. परियोजना के निर्माण कार्यों में यदि स्टोन क्रेशरों की स्थापना की जाती हो तो उक्त की स्थापना/संचालन हेतु बोर्ड से पृथक अनापत्ति/सहमति प्राप्त कर ली जाये।
14. परियोजना में किसी भी तरह के डीजी सेट, व्वायलर, फर्नेश अथवा वायु मण्डलीय उत्सर्जन वाली कोई भी प्रक्रिया बोर्ड अनुमति बिना कदापि न किया जाये।
15. परियोजना मे कार्यरत मजदूरों के लिए इकाई द्वारा ईंधन उपलब्ध कराया जाये जिससे कि उक्त के रूप मे अनधिकृत रूप से वृक्षों का पातन न हो।
16. परियोजना स्थल पर खड़े वृक्षों का पातन यदि आवश्यक हों तो सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाये तथा काटे गए वृक्षों की क्षतिपूर्ति हेतु खाली स्थानों पर वृक्षा रोंपण किया जाये।
17. परियोजना द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि मजदूरों द्वारा या अन्य किसी रूप मे मल–मूत्र इत्यादि का निस्तारण नदी मे न होने पाये।
18. परियोजना से सम्बन्धित सभी सूचनाएँ क्षेत्रीय लोगों को उपलब्ध कराने हेतु सूचना केन्द्र स्थापित किया जाये एवं लोगों को पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाये।
19. परियोजना मे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम् 1986 के समस्त प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
20. इकाई द्वारा प्रेषित Environment Management Plan का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
21. परियोजना में खतरनाक रसायन (विनिर्माण, भण्डारण एवं आयात) नियम 1989 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
22. परियोजना द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्ध व हथालन) नियम 1989 व यथा संशोधित 2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त किया जाये।
23. निर्माण कार्य के दौरान अपरिहार्य स्थितियों मे ही विस्पोटकों का प्रयोग इस प्रकार करें कि वन्य जीव जन्तुओं एवं पारिस्थितिकी पर कोई कुप्रभाव न पड़े।
24. परियोजना में प्रयुक्त की जाने वाली विस्पोटक सामग्री के प्रयोग हेतु सक्षम विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली जाए तथा उसकी प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं सन्तोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जयेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है, कि अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया दिया जाये।

उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनॉक 30.04.07तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्यक प्रेषित् की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये, अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

संलग्नक: लोक सुनवाई का कार्यवृत्त

भवदीय

(ओम प्रकाश)
सदस्य सचिव

पृ0 सं0 एवं दिनॉक/उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई–दिल्ली–03
2. सचिव, ऊर्जा, उत्तरॉचल शासन, देहरादून।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तरॉचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।

सदस्य सचिव